INTERNATIONAL NEWS AND VIEW CORPORATION
INVC
अंतरराष्ट्रीय समाचार एवं विचार निगम

भ्रूण हत्यारे पर लगा 20 हजार का नगद इनाम

By : Deepak Published On : 17 Apr, 2013 07:00 PM IST

आई एन वी सी, हरियाणा, हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीसी एवं पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अनुसार गाइनीकोलजी एवं आब्सटीट्रीक्स में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञा जेनेटिक क्लीनिक, अल्ट्रासांऊड क्लीनिक, इमेजिंग क्लीनिक में अल्ट्रासांऊड करने के लिए योग्य है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कन्या भूरण हत्या करने वाले व्यक्ति को पकड़वाने वाले के लिए राज्य सरकार द्वारा 20 हजार रुपए की नकद ईनाम की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार आईवीएफ सेंटर का पंजीकरण पीएनडीटी अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकरण से करवाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि अब सरकार ने सिटी स्कैन और एमआरआई केन्द्रों का भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिला गुडगांव में इस वर्ष लिंगानुपात में सुधार हुआ है और इस वर्ष के पहले तीन महीनों का लिंग अनुपात का औसत 866 दर्ज किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि 1000 लड़कों के विरूद्घ लडकियों की संख्या 866 हो गई है, जबकि वर्ष 2012 में लिंग अनुपात 840 था। उन्होंने कन्या भूरण हत्या या भ्रूण की लिंग जांच करने वाले चिकित्सकों अथवा दाई आदि की जानकारी देने के साथ-साथ कन्या भूरण हत्या के दुष्प्रभावों के बारे में समाज में चेतना लाने में भी सहयोग देने की अपील की।

URL : https://www.internationalnewsandviews.com/भ्रूण-हत्यारे-पर-लगा-20-हजार/

INTERNATIONAL NEWS AND VIEW CORPORATION
INVC
अंतरराष्ट्रीय समाचार एवं विचार निगम

12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.